

कार्यालय कलेक्टर जिला-बस्तर जगदलपुर
(आदिवासी विकास शाखा)
// विज्ञापन //

क्रमांक / 4881 / 256 / आ.वि. / व.अ. / 2022 /

जगदलपुर, दिनांक 31 / 10 / 2022

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 2538 / 256 / आ.वि. / व.अ. / 2022 / जगदलपुर, दिनांक 31.05.2022 द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवसी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियमों की प्रभावी एवं सूचारु क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर तथा चिन्हित अनुभाग स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में क्रमशः जिला परियोजना समन्वयक एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ता की नियुक्ति किये जाने हेतु विज्ञापन प्रसारित की गई थी। जिसमें आंशिक संशोधन करते हुये दिनांक 21.11.2022 तक आवेदन आमंत्रित की जाती है। पूर्व में प्राप्त आवेदनों में से पात्र पाये गये आवेदकों को पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं है। यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे एवं निर्धारित एवं नियत की गई अवधि के अतंगत सीमित होंगे। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पद का नाम	मानदेय (यात्रा व्यय सहित)	पद की संख्या	निर्धारित अवधि	स्तर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
01	जिला परियोजना समन्वयक	18,000/-	01 (अनारक्षित)	09 माह	जिला स्तर	प्रत्येक संबंधित जिले में एफआरए प्रकोष्ठ हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना
02	क्षेत्रीय कार्यकर्ता (फील्ड वर्कर)	15,000/-	02 (01 पद अनु.ज.जा. एवं 01 पद अनारक्षित)	09 माह	अनुभाग स्तर	प्रत्येक संबंधित जिले में चिन्हित अनुभाग स्तर पर गठित एफआरए प्रकोष्ठ हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना

टीप :- 1. मानदेय में उच्च कुशल श्रमिक हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित मासिक वेतन दरें तथा यात्रा व्यय शामिल हैं।

पात्रता की शर्तें निम्नानुसार है :-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि धारक हो। कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए।
2. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ.ग. रायपुर के ज्ञापन क्रमांक / वन.अधि. / विज्ञापन / 2022-23 / 4043 / अटल नगर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन का न्यूनतम तीन वर्षों का मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव को शिथिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न करते हैं तो उक्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।
3. अधिकतम आयु 01 जनवरी 2022 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।
4. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, इस हेतु प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। जनजातीय परंपराओं, रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिए।
5. आवेदन की प्रक्रिया तथा निर्धारित तिथि :-

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर दिनांक 21.11.2022 तक संबंधित जिला मुख्यालय के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में जमा करेंगे।

(ii) आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत सही पाये गये आवेदन पत्र के आधार पर पात्रता रखने वाले आवेदकों को संबंधित जिला मुख्यालय में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने-जाने का व्यय स्वयं वहन करना होगा।

(iii) साक्षात्कार के समय शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परीक्षण के उपरांत पात्र पाये गये आवेदकों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा तथा साक्षात्कार की निर्धारित तिथि से दूरभाष/ईमेल पर अवगत कराया जायेगा।

(iv) साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर/अध्यक्ष डीएलसी द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन किया जायेगा। निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदक का साक्षात्कार लिया जायेगा। साक्षात्कार समिति में मुख्यालय स्तर से विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा।

(v) साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार सफल अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जायेगी। सफल प्रशिक्षार्थियों द्वारा 15 दिवस में ज्वाइनिंग देनी होगी अन्यथा ज्वाइन न करने की दशा में प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।

(vi) पदस्थापना जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) द्वारा की जायेगी। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।


पद के कर्तव्य (जिला परियोजना समन्वयक)

1. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित सौंपे गये कार्य यथा-एफआरए एमपीआर क्यूपीआर सभी ब्लॉक स्तर से एफआरए डाटा संग्रहण कर प्रस्तुत कर सहायक आयुक्त/जिला नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
2. वन अधिकार समितियों के सदस्य/मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना फील्ड वर्कर के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करना।
3. डीएलसी स्तर पर वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण एवं डाटा प्रस्तुतिकरण करने में सहयोग करना।
4. फील्ड विजिट करना तथा समस्याओं के संबंध में संबंधित व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों तथा शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों से चर्चा का समाधान निकालना।
5. व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों को पास्ट क्लेम में सपोर्ट करना।
6. जिला स्तर एवं अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।
7. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर/अनुभाग स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
8. जिला अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
9. जिला नोडल अधिकारी को रिपोर्टिंग करेंगे।

क्षेत्रीय कार्यकर्ता (फील्ड वर्कर)

1. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित सौंपे गये कार्य यथा-एफआए एमपीआर क्यूपीआर सभी ब्लॉक स्तर से एफआरए डाटा संग्रहण कर प्रस्तुत कर अनुभाग अधिकारी राजस्व/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
2. वन अधिकार समितियों के सदस्य/मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना एवं समस्याओं का निराकरण में सहयोग करना।
3. एसडीएलसी स्तर पर वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण एवं डाटा का प्रस्तुतिकरण करने में सहयोग करना।
4. फील्ड विजिट करना तथा समस्याओं के संबंध में संबंधित व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों तथा शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों से चर्चा कर समाधान निकालना।


5. व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों को पोस्ट क्लेम में सपोर्ट करना। इस हेतु संबंधित विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों से समन्वय स्थापित करना।
6. अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।
7. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर/अनुभाग स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
8. अनुभाग अधिकारी राजस्व/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नोडल अधिकारी को रिपोर्टिंग करेंगे।
9. वन अधिकार जैसे- व्यक्तिगत, सामुदायिक एवं सामुदायिक वन संसाधन के दावे तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने में कठिनाईयों का निराकरण इत्यादि में सहयोग प्रदान करना।
10. अनुभाग अधिकारी राजस्व/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
(कलेक्टर/अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)


 सहायक आयुक्त
 आदिवासी विकास जगदलपुर
 जगदलपुर, दिनांक 31 / 10 / 2022

पृ.क्रमांक / 4882 / 256 / आ.वि. / व.अ. / 2022 /

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला बस्तर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी, (NIC) कार्यालय कलेक्टर जिला बस्तर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया उक्त विज्ञप्ति सूचना जिले के वेबसाईट www.bastar.gov.in पर अपलोड करने की कार्यवाही हेतु।


 सहायक आयुक्त
 आदिवासी विकास जगदलपुर

आवेदन पंजीकरण क्रमांक
(कार्यालयीन उपयोग के लिये)

आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र
वर्ष 2022-23

स्वयं सत्यापित
फोटो चस्पा करें

1. आवेदक का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. आवेदक की श्रेणी :
(सामान्य/एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी.)
5. मूल निवासी :
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. निवास का पता ई-मेल सहित :
(फोन/मोबाईल नंबर)
7. शैक्षणिक योग्यता :
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र.	बोर्ड परीक्षा का नाम	शामिल होने का वर्ष	परीक्षा परिणाम	प्रतिशत
1	2	3	4	5

8. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का अनुभव की कुल अवधि :
(अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र.	संस्था का नाम	कार्यावधि		कार्यभार का प्रकार (विवरण दें)
		कब से	कब तक	
1	2	3	4	5

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी सही है। दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर मेरा आवेदन/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक